2016/00195

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 145/2016 (अपील)

उनवान

1. शिवराज सिंह आत्मज गजराज सिंह मृतक कायम मुकामान
1/1 गीता कंवर पत्नी शिवराज सिंह
1/2 भंवर कंवर पुत्री शिवराज सिंह
1/3 देशराज सिंह पुत्र शिवराज सिंह
1/4 गिरिजा हाडा पुत्री शिवराज सिंह
1/5 ब्रजकिशोर सिंह पुत्र शिवराज सिंह
2. अक्षय राजसिंह
3. बलराज सिंह पिसरान स्व0 गजराज सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम नीमोला तहसील पीपल्दा

(अपीलाण्टान)

बनाम

1. बद्री पुत्री स्व0 कल्याण
2. शान्ति पुत्री स्व0 कल्याण
3. चन्द्रकला पुत्री स्व0 कल्याण
4. धापू पुत्री स्व0 कल्याण
5. किशनी बेवा स्व0 कल्याण जाति गूर्जर निवासीगण ग्राम नीमोला तहसील पीपल्दा
6. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टान)

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री भारत सिंह अडसेला (अभिभाषक रेस्पो0)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश इंतकाल नं0 203
दिनांक 29.11.2001

निर्णय दिनांक : 19.12.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा नामा0 सं0 203 दिनांक 29.11.2001 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि श्री कल्याण पुत्र कालू गुर्जर निवासी मियाणा तहसील पीपल्दा की ख0 नं0 982/357 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा आराजी दिनांक 27.12.69 को आवंटित हुई थी । तथा आवंटन के दिनांक से ही उक्त आराजी पर कल्याण का निरन्तर मालिकाना कब्जा काश्त चला आ रहा है । और सेटलमेन्ट के बाद उक्त भूमि का नया नम्बर 578 रकबा 3.76 है0 कायम किया गया । कल्याण के कोई पुत्र (लडका) नही होने तथा कल्याण की पत्नी की भी कल्याण के प्रति सद्भाव नही रहा तथा स्वास्थ्य बिगडने लगा; कल्याण को अपीलान्ट के पिता श्री गजराज सिंह द्वारा कल्याण की बीमारी अवस्था मे देखभाल करने से कल्याण ने अपीलान्ट के पिता गजराज सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर उक्त वर्णित आराजी ख0 नं0 578 रकबा 3.76 है0 के संबंध मे

एक वसीयत अपीलान्ट के पिता गजराज सिंह के पक्ष मे उप पंजीयक कोटा के समक्ष उपस्थित होकर पंजीकृत करवाई गई । श्री कल्याण का दिनांक 11.07.2001 को निधन हो जाने के बाद अपीलान्ट के पिता श्री गजराजसिंह उक्त वसीयत के आधार पर ख0 नं0 578 रकबा 3.76 है0 के स्वामी हो गये और उनका ही इस भूमि पर कब्जा काश्त रहा । तदउपरान्त दिनांक 15.09.02 को अपीलान्ट के पिता गजराज सिंह का निधन हो जाने के बाद से अपीलान्टान ही उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चले आ रहै और वर्तमान मे भी अपीलान्टान का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है । रेस्पो0 नं0 1 लगायत 5 ने कहा कि उक्त भूमि का इंतकाल भी काफी समय पहले उनके पक्ष मे प्रशासन गांव के संग अभियान मे खोला जा चुका है और धमकी देकर गयी कि अपी0 भूमि से अपना कब्जा हटाले अन्यथा वह अपीलान्टान के विरूद्व अनर्गल आरोप लगाकर उन्हे झूठे मुकदमे मे फंसा देगी । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि इंतकाल नं0 203 दिनांक 29.11.01 की कोई जानकारी नही हुई थी। माह मार्च 2016 मे रेस्पो0 नं0 1 लगायत 5 द्वारा मौके पर आकर आराजी ख0 नलं0 578 रकबा 3.76 हे0 मे अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे मजाहमत करने तथा वादग्रस्त भूमि का इंतकाल उनके पक्ष मे खोले जाने पर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु 15.03.2016 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दि0 18.03.2016 को मिली है ।जिस पर अपील प्रस्तुत की गई ।इस प्रकार जानकारी होने से अपील पेश करने की हुई देरी को कन्डोन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं0 203 दिनांक 29.11.2001 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री भारत सिंह अडसेला अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराये हुए जाहिर किया कि आराजी ख0 नं0 578 रकबा 3.76 है0 के संबंध मे खातेदार कल्याण द्वारा एक वसीयत अपीलान्ट के पिता गजराज सिंह के पक्ष मे उप पंजीयक कोटा के समक्ष उपस्थित होकर पंजीकृत करवाई गई । श्री कल्याण का दिनांक 11.07.2001 को निधन हो जाने के बाद अपीलान्ट के पिता श्री गजराजसिंह उक्त वसीयत के आधार पर ख0 नं0 578 रकबा 3.76 है0 के स्वामी हो गये और उनका ही इस भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। दिनांक 15.09.02 को अपीलान्ट के पिता गजराज सिंह का निधन हो जाने के बाद से अपीलान्टान ही उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चले आ रहै और वर्तमान मे भी अपीलान्टान का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है । परन्तु कल्याण की मृत्यु के पश्चात उसकी लडकियों के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने मे त्रुटि की गई है । अतः रेस्पो0 के पक्ष मे तस्दीक किया गया नामा0 सं0 203 दिनांक 29.11.2001 निरस्त करने व रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर सुनवाई कर पुनः निस्तारण हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित करने का निवेदन किया गया ।

5. रेस्पो0 की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 कल्याण की पुत्रियां है व रेस्पो0 नं0 5 कल्याण की बेवा है । रेस्पो0 नं0 1 लगायत 5 कल्याण के विधिक वारिस होने से उनके पक्ष मे खोला नामा0 नियमानुसार है । अपीलान्ट द्वारा कल्याण का दिनांक 11.07.2001 को निधन हो जाने के बाद कार्यवाही नही की है । वसीयत के आधार पर अधिकार को साबित करने के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद करना चाहिए था जो अपीलान्ट द्वारा नही किया गया है । नामान्तरकरण को 16 वर्ष पश्चात चेलेन्ज किया गया है । साक्ष्य अधिनियम के तहत जब तक वसीयत को साबित नही कराया जाए तब तक उसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नही किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया । अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी Nov 2004 पेज 727 प्रस्तुत की गई ।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है । नामा0 सं0 203 दिनांक 29.11.2001 श्री कल्याण के फोत होने पर रेस्पोडेन्ट के हक मे दर्ज किया गया है । विवादित आराजी के संबन्ध में अपीलान्ट के पिता गजराज के हक मे रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी है । चूंकि अपीलान्ट के पिता के हक मे विवादित आराजी बाबत पंजीकृत वसीयत आलेखित की गयी थी । अतः नामान्तरकरा दर्ज करते वक्त उसे भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था । परन्तु नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामान्तकरण खोला जाना पाया जाता है । विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2004(727) इस प्रकरण पर चस्पा नही होती क्योकि उसमे वसीयत संदेहास्पद थी जबकि अपीलांट के पिता के हक मे दर्ज वसीयत पंजीकृत है ।

7.. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामा0 सं0 203 दिनांक 29.11.2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर वसीयत का परीक्षण कर पुनः विधि के प्रावधानानुसार नामान्तरकरण दर्ज करें ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा